हरगोविन्द सिंह आदि **बनाम** गुरदीप सिंह आदि

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

प्रकरण संख्या 95 सन् 2013 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2013/00083)

मिल कम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2024	वादी अधिवक्ता उपस्थित। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजात के द्वारा स्पष्ट है कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 40 एच ए, पटवार हल्का 42 एच, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2066 ता 2069 के खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 7, 8 की कुल 8.184 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 गुरदीप सिंह के नाम दर्ज कुल 0.350 हैक्टेयर भूमि, का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवदेन किया गया है। राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक सम/6198-6900 दिनांक 05.04.2019 की बिन्दु संख्या 19 के अनुसार जिन मामलों मे प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार मांगे जाते है उनका निस्तारण मण्डल की पूर्ण पीठों द्वारा निम्न मामलों मे प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार किया जाए- 1. 2011 RRD 508 जगदीश एवं अन्य बनाम सीताराम व अन्य 2. 2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल 2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल के निर्णय अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित नहीं होने व सारहीन पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

(राजस्व) अधिकारी ... श्री करणपुर